DFA

गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय

पन्तनगर फार्म पोस्ट–हल्दी

जिला–ऊधम सिंह नगर, पिन–263146

विश्वविद्यालय फार्म के एन खण्ड पूर्वी प्रक्षेत्र बेनी में स्थित मछली के तालाब की तीन वर्ष (दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2023 तक) की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क पर दिये जाने हेतु निविदा।

निविदा–प्रपत्र

निविदा संख्या............... : निविदा शुल्क ₹ 500.00 प्रति निविदा+ जी0एस0टी0

निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय : दिनांक 01.06.2020 सांय 4.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय : दिनांक 11.06.2020 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि व समय : दिनांक 11.06.2020 को अपरान्ह् 3.00 बजे

क्र0सं0	विवरण	क्षेत्रफल है0	ठेका शुल्क की अवधि	धनराशि
1	एन खण्ड, पूर्वी प्रक्षेत्र, बेनी में स्थित मछली के तालाब को दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2023 तक की अवधि के लिये लाइसेंस शुल्क पर दिया जाना	2.00	01.07.2020 से 30.06.2023	अंको में ₹ .... शब्दो में ₹ ....

मैंने निविदा की शर्तों का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्तें मान्य है। धरोहर धनराशि ₹ ....बैंक ड्राफ्ट/नकद रसीद सं0..................................दिनांक...........................के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

रसीद सं0.........................

दिनांक...................................

धनराशि ₹ ....

निविदाता के हस्ताक्षर..............................

पूरा नाम..

ग्राम व पो0...

तह0..........................जनपद.......................

पिन...........................दूरभाष......................

आधार नं0 ....

पैन नं0 ....

निविदा निर्गत अधिकारी के हस्ताक्षर

DFA

परिशिष्ट–I

विश्वविद्यालय फार्म के 'एन' खण्ड, बेनी स्थित 2.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल में अवस्थित मछली तालाब को शुल्क पर दिये जाने हेतु

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को निविदायें दिनांक 11.06.2020 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी, जो दिनांक 11.06.2020 को अपरान्ह् 3.00 बजे उपस्थित निविदादताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेंगी।
2. प्रत्येक निविदादाता द्वारा निविदा के साथ ₹ 20,000.00 की धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट, सवाधि जमा पत्र एवं नगद जमा रसीद के साथ देय होगी। उक्त धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट विश्वविद्यालय फार्म, गो0ब0 पन्त कृ0 एवं0 प्रौ0 विश्वविद्यालय के नाम से भारतीय स्टेट बैंक हल्दी/पन्तनगर यूको बैंक, हल्दी/पन्तनगर/नैनीताल बैंक, नगला में (विश्वविद्यालय फार्म खाता) देय हो जमा करना आवश्यक है। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर निविदा में अधिकतम दरें प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम दरदाता द्वारा यदि निविदा वापस ली जाती है तो ऐसी दशा में धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी, जिसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होंगें।
3. ठेके की सम्पूर्ण धनराशि को 02 किस्त में जमा करनी होगी, प्रथम किश्त का भुगतान अनुबन्ध के समय तथा द्वितीय किश्त अनुबन्ध की तिथि से ठीक 01 वर्ष 06 माह बाद सम्बन्धित लाइसेंस शुल्कदाता (निविदादाता) को जमा कराया जाना होगा।
4. उक्त किश्तों की धनराशि के समय पर भुगतान हेतु पी0डी0सी0 चैक (पोस्ट डेटेड चैक) निविदादाता द्वारा जमा कराया जाना आवश्यक होगा। निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये पी0डी0सी0 चैक किसी भी कारण से बाउन्स होने पर निविदा की शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा तथा निविदादाता के विरूद्ध कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी, इसके लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। किश्त की धनराशि का भुगतान केवल बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक अथवा आर0टी0जी0एस0 अथवा एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। किसी भी दशा में नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि लाइसेंस शुल्कदाता द्वारा निर्धारित तिथि तक किश्तों की धनराशि किसी भी कारणवश जमा नहीं कराये जाने की दशा में कुलपति, गो0ब0 पन्त कृ0 एवं0 प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षो को मान्य होगा।
5. उच्चतम् निविदादाता को 10 प्रतिशत धनराशि सुरक्षा धनराशि के बतौर फार्म कार्यालय में अलग से जमा करनी होगी, जो प्रथम किस्त के साथ जमा होगी।
6. तालाब की निविदा की अवधि दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2023 तक की होगी। अनुबन्ध, निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त प्रपत्र निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर करना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में निर्गत किये जाने वाले प्रपत्र पर भी अवगत कराया जायेगा।
7. सम्बन्धित ठेकेदार को तालाब में पानी भरने के लिये डीज़ल पम्प/विद्युत पम्प की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
8. मछली तालाब की सुरक्षा ठेकेदार को स्वयं करनी होगी, किसी भी प्रकार की क्षति होने की स्थिति में विश्वविद्यालय फार्म उत्तरदायी नहीं होगा।
9. सम्बन्धित ठेकेदार को अपने खर्च पर ₹ 100.00 नौनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जाना होगा तथा दोनों पक्षों के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के पश्चात् किये गये अनुबन्ध को निविदादाता द्वारा पंजीकृत कराया जाना होगा।
10. अनुबन्ध को निविदादाता द्वारा पंजीकृत कराये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् पंजीकृत अनुबन्ध विश्वविद्यालय फार्म को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित तालाब मछली पालन हेतु आपको दिये हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
11. तालाब की मछली बिक्री पर यदि किसी भी प्रकार का कर की देयता होने पर उच्चतम् निविदादाता द्वारा ही जमा कराया जाना होगा।
12. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कुलपति महोदय में निहित होगा। इसके साथ ही सम्बन्धित निविदा अथवा अनुबन्ध को बिना किसी कारण बिना किसी पूर्व सूचना दिये हुये निरस्त किये जाने का भी अधिकार कुलपति, गो0ब0 पन्त कृ0 एवं0 प्रौ0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर का होगा, जिसे दोनों पक्षों को स्वीकार होगा। उक्त समस्त शर्तो का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नही किये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त माना जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 12 तक) पढ़ ली गयी है तथा वह मान्य है।

निविदा निर्गत अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदादाता के हस्ताक्षर